Mineral Area Development Authority

Certificate For Empanelled Builder

Entity Name	: S.R.V. CONSTRUCTION	Enrolment Number	: DEV/2069/0020/2021
Category of Entity	: Single Owner Proprietary Firm	Enrolment Date	: 28/02/2022
CIN Number	: DEV/2069/0020/2021	Registration Number	: DEV/2069/0020/2021
Establishment Year	: 2017	Issue Date of Registration Number	: 23/02/2022
Address	: DARMU NAGAR BIHAR COLONY, CHAS BOKARO JHARKHAND 827013	Validity of Registration no.	: 28/02/2023
		Phone Number	: 9279875414

This is to declare that **S.R.V. CONSTRUCTION** having enrolment number **DEV/2069/0020/2021** , has been successfully registered with us with satisfactory compliance of registration criteria and to certify that registration number **DEV/2069/0020/2021** has been allocated to you as empanelled **Single Owner Proprietary Firm** under this local body to act as authorized **Single Owner Proprietary Firm** for conducting its activity as per its MOA (Memorandum of Association).

The validity of this certificate is subject to meeting the terms and conditions as specified under Annexure-I of Jharkhand Building Bye-laws 2016 and renewal of validity period of this certificate.

Authorized Signatory

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांकः—न0वि0वि0 08 / 20~~20~~ 04 .... चास दिनांकः— 31/07/2020

सेवा में,

श्री / ~~श्रीमती~~ ओम प्रकाश सिंह
पिता / ~~पति~~ श्री इन्द्र सिंह
पता— दारक नगर कोलनी, चास, जिला-बोकारो।

विषयः— आवासीय / ~~व्यवसायिक / व्यवसायिक सह आवासिय / औद्योगिक / संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केस नं0 बी0डी0 — 61/18-19 संबंधी आपके आवेदन दिनांक— 09/10/18 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या— 4275 / 1435 ~~2068/18 / 2214/17~~ दाखिल खरिज अभिलेख संख्या— 3049/R27/18-19 3050/R27/18-19 जमाबंदी संख्या— 91,92/26 .... से निर्गत लगान रसीद वर्ष .... की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं **Indemnity Bond** एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / ~~व्यवसायिक / व्यवसायिक सह आवासिय / औद्योगिक / संस्थागत~~ भवन संबंध बी0डी0 केस नं0— 61/18-19 .... के नक्शों की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि- रानीपोखर-20 .... मौजा अन्तर्गत खाता नं0— 353,354,360, प्लॉट नं0— 2098,2099, 2150 .... —, रकवा— .... 23 .... डिसमील / ~~एकड़~~ भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री Ashok Kumar .... की देख—रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 3 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत् निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशाक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय—समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

झमाडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय / ~~व्यवसायिक / व्यवसायिक सह आवासिय / औद्योगिक / संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थपित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रमावित होगा।

स्ट्रेक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट एवं प्लबिंग रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक / ~~आवेदिका~~ सूचित करेंगे और अमियंता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजातों में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने / होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

आवेदक / ~~आवेदिका~~ द्वारा श्रम उपकर के मद में 1% कुल रु0— 3,00,384/- .... का 1/3 भाग का बैंक ड्राफ्ट जिसकी राशि रु0— 1,00,400/- .... एवं दो पोस्ट डेटेड चेक जमा किया गया है।

31/7/20

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
झामाडा, धनबाद
31/7/20

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

"यह जिससे संबंधित है"

पत्रांक–न0नि0वि0 08 / 2020– 93 दिनांक–06/10/20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पिता– श्री जय नारायण प्रसाद 3'A' भुपेन्द्र शांति एपार्टमेन्ट जय प्रकाश नगर डिनोबिली धनबाद, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा पंजीकृत अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता हैं। इनका पंजीयन संख्या– (LIC No.) 02/09 (Old.), MADA/ENG/0007/2019 (Grade-"B") New है। श्री अशोक कुमार वर्ष 2009 से पंजीकृत अनुभवी अभियन्ता साथ ही इनका तकनीकी जैसे डिजाईन, ड्राईन्ग, कन्सट्रक्शन कार्यों को सम्पादन करने में दक्ष है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इनका 11 वर्षों का अनुभव है।

मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

06/10/2020

कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,
झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।

6/10/20 6.10.20